27.3.18 पत्रावली आज इसलिये तलबी [illegible]
7.5.18 को पेश हो।

7.5.18 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 4.6.18 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

याय आपक द्वार अभियान 2018

4.6.18 पत्रावली कैम्प कोर्ट बाघापुरी में पेश हुई। वादी स्वयं व प्रतिवादी कमला व गवाह रेगमी उपस्थित। कमला व रेगमी के बयान लिये गये इनके द्वारा स्वीकारोक्ति के बयान दिये गये। राज्य सरकार ने जवाब पेश किया वादी प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। उभयपक्ष को सुना गया निर्णय लिखाया गया जारी किया है पत्रावली फैसल शुमार हो बाद नक्ल फैसल हो व दाखिल दफ्तर हो।

रामनिवास

क्र.R. रेगमी

कमला

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाघापुरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 109 / 2017
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत – बाघसूरी

उनवान

1. रामसिंह पुत्र लाला जाति चीता निवासी अजबा का बाडिया

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. कम्मा पुत्र लाला जाति चीता निवासी अजबा का बाडिया
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–4.6.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजबा का बाडिया पटवार क्षेत्र बनेवडा के खाता संख्या 146 / 140 किता 01 रकबा 0.24 व खाता संख्या 145 / 141 किता 09 रकबा 2.62 वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी संयुक्त सहखातेदारी / सहकाश्तकारी भूमि है। जिसमें विरासत का नामान्तरकरण करते समय वादी का नाम राम सिंह के स्थान पर रहमत पुत्र लाला का अंकन खाता संख्या 146 / 140 में कर दिया गया एवं खाता संख्या 145 / 141 में राम सिंह के स्थान पर रहमान पुत्र लाला का अंकन कर दिया है जबकि वादी का नाम राम सिंह पुत्र लाला है। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी की पुश्तैनी भूमि है। अतः वादग्रस्त आराजी पर वादी को खातेदार दर्ज किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से महरूम नहीं करें तथा ना ही कब्जा काश्त में दखल करें एवं अन्यत्र हस्तांतरण नहीं करें। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

पत्रावली कैम्प कोर्ट बाघसूरी में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए साथ ही सहखातेदार रेशमी पुत्री बहादुर उपस्थित हुई। कम्मा व रेशमी के बयान लिये गये। कम्मा ने अपने बयान में अवगत कराया है कि रामसिंह पुत्र लाला मेरा भाई है जिसका वास्तविक व सही नाम सभी रेकॉर्ड में राम सिंह दर्ज है लेकिन रेकॉर्ड में गलती से रहमत व रमजान कर दिया गया जो गलत है। अतः अन्य दस्तावेजों की तरह रामसिंह किया जाता है तो हमें कोई आपत्ती नहीं है। इसी प्रकार रेशमी पुत्री बहादुर के द्वारा भी कम्मा द्वारा दिये गये बयानों को दोहराया है।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :: बाघसूरी

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या 146/140 में वादी का नाम राम सिंह के स्थान पर रहमत पुत्र लाला व खाता संख्या 145/141 में राम सिंह के स्थान पर रहमान पुत्र लाला का अंकन अंकित है।

वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 146/140 में वादी का नाम राम सिंह के स्थान पर रहमत पुत्र लाला व खाता संख्या 145/141 में राम सिंह के स्थान पर रहमान पुत्र लाला किये जाने से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। खसरा नम्बर 765 का वादी ने बेचान किया हुआ है।

अतः ग्राम अजबा का बाडिया पटवार क्षेत्र बनेवडा के खाता संख्या 146/140 किता 01 रकबा 0.24 व खाता संख्या 145/141 किंता 09 रकबा 2.62 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 146/140 में वादी का नाम रहमत पुत्र लाला के स्थान पर राम सिंह पुत्र लाला व खाता संख्या 145/141 में रहमान पुत्र लाला के स्थान पर राम सिंह पुत्र लाला अंकित करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत नसीराबाद